

न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केस नं0- 38 / 2020-21

चुण्डा किस्कू बनाम् रैयान मौजा-बड़ा बरारो

—: आदेश :-

31.01.2023


वर्तमान प्रक्रिया आवेदक चुण्डा किस्कू एवं माँझी किस्कू दोनों पे0-स्व0 चन्द्राय किस्कू तथा प्रदीप किस्कू, पे0-भुजु किस्कू सभी सा0-बड़ा बरारो, थाना-राजाभीठा, अंचल-बोआरीजोर, जिला-गोड्डा ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-6 के तहत मौजा-बड़ा बरारो नं0-33 के ग्राम प्रधान की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

आवेदकगण के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।


आवेदक के द्वारा दाखिल आवेदन का जाँच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, बोआरीजोर का पत्रांक-177/रा0 दिनांक-09.02.2021 एवं पत्रांक-23क/रा0 दिनांक-12.01.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित कर प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-बड़ा बरारो नं0-33 प्रधानी मौजा है। उक्त मौजा के पूर्व प्रधान चन्द्राय किस्कू पिता-राम किस्कू थे, जिनकी मृत्यु हो जाने के कारण प्रधानी पद रिक्त है, जिसके लिए आवेदकगण चुण्डा किस्कू, माँझी किस्कू एवं प्रदीप किस्कू के द्वारा आवेदन पत्र दाखिल किया गया है। माँझी किस्कू पूर्व प्रधान चन्द्राय किस्कू का कनिष्ठ पुत्र है। चुण्डा किस्कू एवं माँझी किस्कू सहोदर भाई है तथा प्रदीप किस्कू पूर्व प्रधान के चाचा का पुत्र है। आवेदक चुण्डा किस्कू के द्वारा शपथ पत्र सं0-4483 दिनांक-18.02.2022 एवं शपथ पत्र सं0-1990 दिनांक-25.04.2022 के द्वारा अपने छोटे भाई माँझी किस्कू को ग्राम प्रधान नियुक्ति हेतु अनापत्ति दाखिल किया गया है।

अतः आवेदक के आवेदन के विरुद्ध उक्त मौजा के 16 आना रैयतों से किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने तथा पूर्व प्रधान के अन्य वंशज द्वारा अनापत्ति दाखिल करने एवं अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-6 के तहत मौजा-बड़ा बरारो नं0-33 का ग्राम प्रधान माँझी किस्कू को नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि वे उक्त मौजा का वार्षिक खजाना कौषागार में जमाकर चालान की प्रति के साथ संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-7 के तहत कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।


31.01.23

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।


31.01.23

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Seen
Subhash chandra chaudhary
Adm
18/04/2023

Jyoti K. D.
Adm
18-04-23